



५३९/१

दूरभाष 2286709

2286710

नव घेताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : प५६८/०५/७६/एफ/२०१५-१६

दिनांक: २९ फरवरी २०१६

सेवा में

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद-देवरिया।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा ढूड़ा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आईएएसडीपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आनंदित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम एनोडीएस० लो० बैंक	खाता संख्या 50100029657434	आईएएससी कोड II SC Code III) C 0000917	धनराशि 92.219

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के संपेक्ष वर्किंग				
			कास्ट/लेवर सेस/अग्रिम का समायोजनोपरान्त धनराशि का प्रेषण	वर्किंग कास्ट	लेवर सेस	कुल	अग्रिम का समायोजन
देवरिया	अनु० ३७ पीएलए	1527/ 1090	86.769	5.450	92.219	0.000	92.219
	योग		86.769	5.450	92.219	0.000	92.219

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय आईएएसडीपी योजनान्तर्गत रामबन्धित गूल्यवृद्धि की डीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी रवीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि रवीकृत की गयी है। परियोजना की डीपीआर में रवीकृत दरों एवं कार्य की भाँतिक प्रगति को दृष्टिगत रूप से ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुरक्षित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है उसके सापेक्ष भाँतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्यवहरण अनुमत्य न होगा। उक्ता परियोजना प्रत्येक दशा में गाह दिसम्बर 2016 तक पूर्ण की जानी है तदोपरान्त भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रभाण पत्र एवं उपयोगिता प्रभाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व ढूड़ा द्वारा एम०ओ०य० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-

- समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की डीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण करने होंगे।
- मार्च 2017 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रभाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- उपलब्ध रवीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।



539/2

दूरभाष 2286709
2286710

ग्र. बेतना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 5- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लागार्थी अंशदान संशोधित दरों पर ढूड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कायदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- 6- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना की वलोजर रिपोर्ट अभियान मुख्यालय को ढूड़ा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
- 7- सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएलओ) को करना होगा और उक्त का प्रगाण पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

भवदीय,
(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

भवदीय,
(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ प्राप्ति।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
3. परियोजना अधिकारी-सूडा
4. कम्युटर रोल / लेखा विभाग-सूडा।